

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

21 दिसंबर, 2022

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की प्रतिवेदन माल और सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर पर 'सबका विश्वास विरासत विवाद समाधान योजना 2019' संसद में प्रस्तुत

माल और सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर पर 'सबका विश्वास विरासत विवाद समाधान योजना 2019' (2022 की प्रतिवेदन संख्या 14) पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को आज संसद में प्रस्तुत किया गया।

यह निष्पादन लेखापरीक्षा 52 चयनित कमिश्नरियों में यह अध्ययन करने के लिए की गई थी कि क्या सबका विश्वास विरासत विवाद समाधान योजना (एसवीएलडीआरएस) ('योजना') की कार्यान्वयन प्रक्रिया पर्याप्त और पूर्ण थी; मामलों का निपटान और देय करों की उगाही कानून के अनुसार थी; आंतरिक नियंत्रण तंत्र पर्याप्त थे और इस 'योजना' से पहले की वीसीईएस योजना के संबंध में स्वीकृत लेखापरीक्षा सिफारिशों से प्राप्त सीख का पालन इस 'योजना' में किया गया था।

इस 'योजना' का मुख्य उद्देश्य विरासत मामलों अर्थात् केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर जिसे जीएसटी के तहत समाहित किया गया था, से संबंधित भार को उतारना था। इस निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला कि कुछ कमियां मुख्य रूप से ऑनलाइन प्रणाली डिजाइन करने/कानूनी प्रावधानों/सीबीआईसी के निर्देशों के पालन, विवादित मामलों के निपटान में अपर्याप्तताओं और कर अपवंचकों को कर के दायरे में रखने से संबंधित हैं, जैसा कि नीचे संक्षेप में बताया गया है:

- क) 15 कमिश्नरियों में विनिर्दिष्ट समितियों को अधितित अभिलेखों की समय पर उपलब्धता के संबंध में सीबीआईसी के निर्देशों का पालन नहीं किया गया।

(पैराग्राफ 3.4.2)

- ख) इसमें एसवीएलडीआरएस पोर्टल द्वारा दोषपूर्ण उद्घोषणाओं को स्वीकार करने, गलत डेटा के सृजन और 'योजना' के प्रावधानों की अनुरूपता में अमान्य डेटा की प्रविष्टि को प्रतिबंधित करने में विफलता के उदाहरण थे।

(पैराग्राफ 3.5.1 से 3.5.6)

- ग) 28 उद्घोषणाओं में ₹ 109.81 करोड़ की अनियमित राहत उन उद्घोषकों को दी गई थी जिन्होंने अपात्र माल के संबंध में राहत मांगी थी।

(पैराग्राफ 3.7.1)

- घ) विनिर्दिष्ट समितियों ने 'स्वैच्छिक प्रकटीकरण' श्रेणी के तहत ₹ 7.01 करोड़ के देय कर वाली 21 उद्घोषणाओं को अनियमित रूप से संसाधित किया, हालांकि उद्घोषक 'पूछताछ/जांच/लेखापरीक्षा' के विषयाधीन थे और रिटर्न फाइल किया था।

(पैराग्राफ 3.7.4)

- ड) विनिर्दिष्ट समितियों ने 14 पात्र उद्घोषणाओं को अस्वीकार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 8.72 करोड़ के राजस्व की संभावित हानि भी हुई।

(पैराग्राफ 3.8)

- च) 'बकाया' के बजाय 'मुकदमेबाजी' श्रेणी के तहत 17 उद्घोषणाओं के अनियमित संसाधन के परिणामस्वरूप उद्घोषकों को ₹ 5.1 करोड़ की राशि की अतिरिक्त राहत मिली।

(पैराग्राफ 3.9.2.1)

- छ) दस उद्घोषणाओं में देय करों के गलत प्रतिफल के परिणामस्वरूप ₹ 1.31 करोड़ की अतिरिक्त राहत मिली।

(पैराग्राफ 3.9.3.1)

- ज) ₹ 90.51 करोड़ के देय कर वाली 65 उद्घोषणाओं में, संबंधित मामलों के साथ यथावत जोड़ने के बाद, पूर्व-जमा/जमा के साक्ष्य को ठीक से सत्यापित नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 3.10)

- झ) 625 मामलों में जीएसटी अवधि को यानी 1 जुलाई 2017 या उसके बाद को कवर करते हुए निर्वहन प्रमाण पत्र जारी किए गये थे। यह निर्वहन प्रमाण पत्र के गलत जारी किये जाने को दर्शाता है क्योंकि यह 'योजना' के दायरे से बाहर था।

(पैराग्राफ 3.12.3.7)

- ञ) एसवीएलडीआरएस पोर्टल ने ₹ 273.53 करोड़ के देय कर वाले 208 मामलों में बहुभागी उद्घोषणाओं को स्वीकार किया, जिसके परिणामस्वरूप कुछ मामलों को कई बार संसाधित किया गया था।

(पैराग्राफ 3.13.2)

- ट) पूर्व-जमा के रूप में शास्ति/विलंब फीस/ब्याज के समायोजन के संबंध में समान तरह के मामलों के निपटान में विसंगतियां थीं।

(पैराग्राफ 3.14.1)

- ठ) 'स्वैच्छिक प्रकटीकरण' मामलों के एक जोखिम आधारित नमूने के सत्यापन के लिए कोई प्रणालीगत तंत्र नहीं था; इसके अलावा, 264 अप्रदत्त 'स्वैच्छिक प्रकटीकरण' में ₹ 54.22 करोड़ की वसूली के लिए पर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई का अभाव था।

(पैराग्राफ 4.1 एवम् 4.2)

सिफारिशें

- 1) विभाग उन मामलों को समयबद्ध तरीके से प्रवृत्त करने के लिए प्रभावी कदम उठा सकता है जो 'योजना' के तहत खारिज कर दिए गए थे और साथ ही 28,825 मामले जिनके लिए निर्वहन प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सका, विशेष रूप से अनुमानित भुगतान योग्य राशि के भुगतान न करने के कारण। विशेष रूप से, 'स्वैच्छिक प्रकटीकरण' के मामले जहां देयता का निर्वहन नहीं किया गया था, राजस्व के हितों की रक्षा के लिए शक्तिपूर्ण अनुसरण किया जाना चाहिए। बकाया पुष्ट मांग हैं और इसकी कोई समाप्ति तिथि नहीं होती है और यह संभव है कि कई उद्घोषक करदाता के रूप में जीएसटी व्यवस्था में चले गए हों, और इसलिए वसूली की कार्रवाई संभव है।

(पैराग्राफ 3.1 एवम् 4.2)

- 2) विभाग लेखापरीक्षा द्वारा इंगित मामलों में गलत समायोजित पूर्व जमाराशियों के पुनर्मिलान के लिए प्रभावी कदम उठा सकता है।

(पैराग्राफ 3.10)

- 3) विभाग को यह सत्यापित करना होगा कि एसवीएलडीआरएस निपटान के लिए उपयोग किए गए गैर-एसवीएलडीआरएस चालानों का उपयोग पहले से अतीत में नहीं किया गया है, और भविष्य में उनके दुबारा उपयोग को रोकने के लिए उपयोग किये जा चुके एसवीएलडीआरएस चालानों की निगरानी सूची बनानी चाहियें।

(पैराग्राफ 3.11)

- 4) विभाग एसवीएलडीआरएस पोर्टल में तकनीकी खामियों को दूर कर सकता है यह सुनिश्चित करने के लिए कि
- (क) पहले से जारी किए गए निर्वहन प्रमाण पत्र में विसंगति को ठीक किया गया और निर्धारिती को अधिसूचित किया जाए।
- (ख) निर्वहन प्रमाण पत्र जो जारी नहीं किया जा सका था, जबकि निर्धारिती ने सभी आवश्यक शर्तें पूरी कर ली थीं और समय पर भुगतान कर दिया था, अब जारी किए गए हैं और निर्धारिती को अधिसूचित किया जाए।

- (ग) विभाग को निर्वहन प्रमाण पत्र को भी सही करना चाहिए जहां निर्वहन प्रमाण पत्र में पंजीकरण संख्या एससीएन/ओआईओ में उल्लेखित पंजीकरण संख्या से मेल नहीं खाती हैं, और निर्धारिती को अधिसूचित करना चाहिए ।

(पैराग्राफ 3.12.3.5 से पैराग्राफ 3.12.3.8 और पैराग्राफ 3.6.2)

- 5) विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए की सभी कानूनी मामले, जहाँ निर्धारिती द्वारा निकासी के लिए आवेदन दिए गये हैं और 'योजना' के तहत इन आवेदनों का सफलता पूर्वक निपटारा किया गया है, को विभिन्न कानूनी मंचों की लंबित सूची से हटा दिया गया है। ऐसे लंबित मामलों की सूची का रखरखाव किया जाना चाहिए ताकि उनकी पूर्ण निकासी सुनिश्चित की जा सके।

(पैराग्राफ 3.12.3.4 एवम् 4.3)